




**न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)**

आदेश पत्रक

धरम सिंह माहती बनाम दशरथ मती वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
30-11-17	<p>अगिलेख सं०-एम...158.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी तसाड के अप्राथमिकी सं०-52/17 दिनांक-7-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>मारपीट होने का समय संबंधी विवाद होने का लेकर समय पत्र में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उसरो/उनरो प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 15-12-17 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div>	
15-12-17	<p>अगिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष तनाव दारिणल के।</p> <p>दिनांक 05-01-18 को शुरू।</p> <div style="text-align: right;">               15/12/17         </div>	

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि

क्रमांक 02, 03, 04 अधिवक्ता हाजरी ।  
 प्रथम पत्र की ओर से गवाही जनक  
 सिंह मुष्क से परिष्कार एवं प्रतिपत्ति लिया  
 गया तथा गवाही से मुक्त किया गया ।  
 प्रथम पत्र गवाही से दिनांक 18-06-18  
 को रखा ।

8/1/18

18-06-18

पीठाधीन पदाधिकारी अन्य कार्य में  
 व्यस्त । दिनांक 02-07-18 को रखा ।

02-07-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
 उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थित  
 अन्य अधिवक्ता हाजरी । उक्त वाद में  
 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है  
 अर्थात् वाद काल समाप्त हो गया है। अतः  
 वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती  
 है।

2/1/18